

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

पत्रांक -1451

पटना, दिनांक -27 / 04 / 2006

विषय : बिहार सिंगल विण्डो क्लियरेन्स अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत नोडल एजेन्सी गठन।

बिहार सिंगल विण्डो क्लियरेन्स अधिनियम, 2006 की धारा 7 के अन्तर्गत सरकार ने विभिन्न स्तरों पर नोडल एजेन्सी के गठन का निर्णय लिया है जो निम्न प्रकार होगा :-

- (i) राज्य स्तर - निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित कोषांग।
 - (ii) जिला स्तर - जिला उद्योग केन्द्र।
2. नोडल एजेन्सी की शक्तियां एवं कार्य अधिनियम की धारा 8 में यथा वर्णित होगा।
3. राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद / राज्य स्तरीय समिति / जिला स्तरीय समिति द्वारा संबंधित नोडल एजेन्सी की सहायता से प्राप्त आवेदनों की जाँच एवं निस्तार किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावों पर नोडल एजेन्सी को आवश्यक कार्य सम्पादन के लिये मार्ग निदेशन दिया जा सकेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / -
(एस0 विजयराघवन)
औद्योगिक विकास आयुक्त,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1451

/पटना, दिनांक-27 / 04 / 2006

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह0 / -
औद्योगिक विकास आयुक्त,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1451

/पटना, दिनांक-27 / 04 / 2006

प्रतिलिपि- महालेखाकार,बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
उद्योग विभाग,बिहार,पटना।

ज्ञापांक-1451

/पटना, दिनांक-27 / 04 / 2006

प्रतिलिपि:- सभी विभागों/विभागध्यक्षों/उद्योग विभाग के सभी पदा0/निगम/प्राधिकार /उद्योग निदेशक, बिहार,पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/राज्य मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1451

/पटना, दिनांक-27 / 04 / 2006

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव,बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1451

/पटना, दिनांक-27 / 04 / 2006

प्रतिलिपि - जिला समाहर्ता-सह-अध्यक्ष, बिहार सिंगल विण्डो अधिनियम, 2006 के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

औद्योगिक विकास आयुक्त,
उद्योग विभाग,बिहार,पटना।